the implementation of the directions of Supreme Court on withdrawal and rehabilitation of working children. Based on these deliberations guidelines along with model child labour survey form for carrying out survey as per the directions of the Supreme Court have been sent to the State Governments/UTs.

स्टेट बैक ऑफ इन्दौर के विरूद्व दायर मामले

229. **श्री शिव चरण सिंह** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारियो/नेताओं ने स्टेट बैक आफ इंन्दौर के विरूद्व केन्द्रीय श्रम न्यायालय, अंसल भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग और सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) में कितने मामले दायर किये हैं

(ख) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों की संख्या कितनी हैं और इसका ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या मामले की सुनवाई न करने के लिए पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय द्वारा लगातार अगली तारीख दी जा रही है और इस तरह से पूर्वाग्रहणों दृष्टिकोण रखते हुए बैक प्रबंधन से पक्षपात किया जा रहा हैं

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार कर्मचारियों के मामलों में अधिक विलम्ब को रोकने एवं उन्हें शीघ्र न्याय दिलाने के लिए उपाय/निर्देश देने पर विचार करेगी और

(ड) उपरोक्त मामलों का निपटारा कब तक कर लिया जायेगा?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) आदिनांक, सी जी आई टी सह श्रम न्यायालय नई दिल्ली में दो औघोगिक विवाद लम्बित हैं जिसमें स्टेट बैक ऑफ इंदौर और इसके कर्मचारी/संघो के बैक ऑफ इन्दौर और इसके कर्मचारी/संघो के पदाधिकारी अन्तर्गस्त हैं। 1.1.1995 से स्टेट बैक आफ इन्दौर के कर्मचारियों/संघो के पदाधिकारियों द्वारा सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) नई दिल्ली के समक्ष चार औघोगिक विवाद रखे गए हैं। तीन मामलों के संबंध में सराधन की असफलता की रिपोर्ट श्रम मंत्रालय में प्राप्त हो गई हैं जिनमें से एक विवाद पहले ही न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित कर दिया हैं।

(ख) औघोगिक विवाद का आंकड़ा जाति आधार पर नहीं रखा जाता हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ड.) सरकार द्वारा न्यायालय के श्रेत्राधिकार के हस्तक्षेप करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

Experts Committee to Review Various Labour Laws

230. SHRI SATISH PRADIIAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have recently set up an Experts Committee to review various labour laws with a view to have them updated in the light of liberalisation and globalisation policies adopted by the Government;

(b) if so, details of the agenda on which the Committee is working, terms of reference, composition and time schedule for finalisation of the assignment;

(c) details of labour laws to be updated and direction of change sought; and

(d) the present status of the proposal?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (d) In pursuance the recommendations made in the 33rd Session of Indian Labour Conference held in October, 1996 the Government has constituted a Bipartite Committee to formulate specific proposals for a comprehensive Industrial Relations law and to consider the issue of recognittion of Trade Unions through Secret Ballot. The Committee has already met four times and the present tenure of the Committee is upto 31st May, 1997.

Clearance of Pending Statutory Dues of Employees of CPSUs

231. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether a meeting was held on 5th December, 1996, regarding clearance of